

कार्यालय— प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल (म0प्र0)
आदेश

क्रमांक ~~2220~~/दो-11-05/2022

भोपाल, दिनांक ~~04~~ दिसम्बर, 2025

कार्यालय द्वारा जारी तृतीय श्रेणी शासकीय सेवकों का स्थानान्तरण आदेश क्रमांक 1977/दो-11-05/2022 भोपाल, दिनांक 25 अक्टूबर, 2025 में आंशिक संशोधन किया जाकर आदेश की सारणी के स.क्र. 35 के कॉलम क्रमांक 04 में अंकित शब्द **"सिविल रीडर"** विलोपित कर **"किमिनल रीडर"** प्रतिस्थापित किया जाता है एवं इसी प्रकार स.क्र. 36 के कॉलम क्र. 03 में अंकित शब्द **"सिविल रीडर"** विलोपित कर **"किमिनल रीडर"** प्रतिस्थापित किया जाता है।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
भोपाल (म0प्र0)

पृ.क्रमांक ~~10432~~/दो-11-05/2022
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक ~~04~~ दिसम्बर, 2025

1. सुश्री अर्पणा सोनी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, बैरसिया, जिला भोपाल की ओर आपके अग्रेषण क्रमांक 301/25 बैरसिया दिनांक 28.11.2025 के सदर्थ में प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त संशोधित आदेश के संबंध में आपके अधीनस्थ श्रीमती रश्मि पचौरी, किमिनल रीडर को टीप कराया जाकर किमिनल रीडर के चार्ज सूची 07 दिवस में कार्यालय में प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित करें।
2. संबंधित कर्मचारीकी ओर ई-मेल के माध्यम से प्रेषित कर लेख है कि चार्ज सूची 07 दिवस में कार्यालय में प्रस्तुत करें।
3. निज सहायक, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश भोपाल,
4. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, जिला न्यायालय, भोपाल की ओर उक्त आदेश की प्रति बेवसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु,
5. लेखापाल/वेतन लिपिक, कार्यालय-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश भोपाल, की ओर सूचनार्थ, अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
भोपाल (म0प्र0)